भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं.28/19/2003/एम.एस./ दिनांक: 7 अप्रैल, 2003

परिपत्र सं.-1

(2003-2004 श्रृंखला)

विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)।

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का सहयोजन,

(I) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 14/2/2003 तथा 12/3/2003 के पत्र सं. आईडीबीआई/एच.ओ.टीयूएफएस(6) द्वारा युनाइटेड वेस्टर्न बैक लि., तथा लक्ष्मी विकास बैंक लि., को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सहयोजित किया है ।

(II) लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 11/2/2003 तथा 2/3/2003 के पत्र सं.डीएफआईडी/आरटीयूएफ द्वारा अपना सहाकरी बैंक लि., नासिक मर्चन्ट्स को-आप. बैंक (नास्को बैंक) तथा डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लि. को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए सहयोजित किया है ।

(III) इंडस्ट्रियल फाइनेन्सियल कार्पो. ऑफ इंडिया (आईएफसीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 05/3/2003 के पत्र सं. सीसीडी/टीयूएफएस/जूट/2003 द्वारा विजया बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए सहयोजित किया है ।

1. दिनांक 24 फरवरी, 2003 को मुंबई में संपन्न तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टीएएमसी) की 19वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(I) लेसर लेबल कटिंग मशीन का समावेश:-

(क) प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट-डी.1, (बी) 16 पर लेसर कटिंग मशीन का निम्नानुसार समावेश किया गया ।

16. पॉवर ड्रीवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फैब्रिक या लेबल कटिंग मशीन **।**

(ख) लेबल कटिंग मशीन, यथा, पावर ड्रीवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फैब्रिक या लेबल कटिंग मशीन को जोड़कर परिशिष्ट ई (ए) (15) के अंतर्गत प्रविष्टि संशोधित की गई ।

(II)"विद्यमान ब्लोरूम मशीन के बदले सेसॉर टेक्नोलॉजी फाइबर डिटेक्टर उपकरण का समावेश ।

परिशिष्ट-बी (ए) 2 (III) के अंतर्गत प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित किया गया ।

(ए) 2 (III)"विद्यमान ब्लोरूम डाइरेक्ट लाइन में सभी विदेशी फाइबर डिटेक्टर, स्वचालित बेलप्लकिंग मशीन तथा परिष्कृत सफाई करने वाली मशीन उपकरण । "

(III) हायुमिडीफायर्स (चिलर्स) के बिना आर एच तथा तापमान का रखरखाव करने के लिए एअर वॉसर प्लान्टस् तथा एअर फिल्टर्स के साथ इंडस्ट्रियल हयुमिडिकिकेशन पद्धति का समावेश ।

परिशिष्ट-बी (ए) 15 के अंतर्गत प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित किया :-

15 " डी -हयुमिडीफायर्स (चिलर्स) के साथ/के बिना आरएच तथा एअर वॉशर प्लान्ट तथा एअर क्रिस्टर्स के साथ इंडस्ट्रियल हयुमिडिफिकेशन पद्धति । "

2. दिनांक 4 मार्च, 2003 को नई दिल्ली में संपन्न अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (आईएमएससी) की 14वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(I) पुरानी आयातित नॉन-वूवन मशीनरी का समावेश:

दस वर्ष पुरानी तथा न्यूनतम 10 वर्ष शेष कार्यावधि वाली निम्नलिखित पुरानी आयातित नॉन-वुवन मशीनरी को प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया तथा नॉन-वुवन/टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए जी.आर. 3.2 (2) के अंतर्गत निम्नानुसार प्रविष्टि की गई :-

1. उच्च गति कार्डस जिसके साथ चुट फीड एअरोडायनैमिक अथवा फीडर के साथ कार्ड वाला चुट फीड डबल डॉफर अथवा रोलर कार्ड

2. क्रॉस लॅपर

3. कॉम्प्रेसिव वॅट फीडर तथा कॉम्प्रेसिंग ॲप्रॉन के साथ नीडल लूम

4. 2 बाऊल थर्मो बॉन्ड कॅलेंडर

5. चुट फीड के साथ वेब लेइंग तथा वेब फॉर्मिग (सीनक्रोनाइज्ड) उच्च गति काड्र्स

6. प्रिंट बॉन्डर

(!!) कॅप्टीव पॉवर उत्पदन के लिए पवन ऊर्जा का समावेश

कॅप्टीन पावर उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा उपकरण को " वाईन्ड टर्बिन" समेत जी.आर. के टीयूएफएस के अंतर्गत पात्र अन्य निवेशों से संबंधित पैरा 3.3 (2)(!) पर प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत समावेश किया गया । यद्यपि नोडल अभिकरण उनके द्वारा प्राप्त विस्तृत प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय को वस्त्र आयुक्त के माध्यम से भेजेगा तथा ब्याज प्रतिपूर्ति की रिहाई करने से पहले उसका अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(!!!) प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत शीघ्र ब्याज प्रतिपूर्ति करने के लिए नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. को प्रोत्साहन देना ।

जिन बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र वस्त्र इकाईयों क ो ऋण दिया है, यदि ऋण को पुर्नभुगतान निर्धारित तिथि में किया गया हो तो वे 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बिना स्वीकार करेंगे, जो उन्हें नोडल अभिकरण से मिलेगा । जब तक नोडल अभिकरण से ब्याज प्राप्त नहीं होता है तब तक बैंक/वित्तीय संस्थान प्रतिपूर्ति राशि पर इकाई से प्रा.ऋ.सं. से ब्याज लेगी ।

(!v) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लि. द्वारा चलाई जा रही किराया-खरीद योजना का समावेश ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. द्वारा चलाई जा रही किराया-खरीद योजना के ब्याज अंश को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत शामिल किया गया बशर्ते कि मशीनरी योजना में निर्धारित प्रौद्योगिकी तथा अन्य पात्र प्राचलों की पूर्ति करती हो ।

(v) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पुराने आयातित वाटरजेट करघों की पुरानी अवधि में 5 वर्ष से 10 वर्षों तक वृद्धि तथा न्यूनतम चौड़ाई को विद्यमान 165 सेमी से 150 सेमी तक घटाना ।

पुराने आयातित वाटरजेट करघों की पुरानेपन अवधि में 5 वर्षों से 10 वर्षों तक वृद्धि की गई है तथा पात्र चौड़ाई विद्यमान 165 सेमी. चौड़ाई से 150 सेमी. तक कम की गई है ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक